

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या – 359/2026

अनवान : –

1. जय प्रकाश पुत्र पूर्ण राम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला देवी पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. फुली पत्नी रामप्रताप पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. माया पुत्री पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. इन्द्रावती पत्नी पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. रवि कुमार पुत्र पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ०५/०६/२६

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के 1/72 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व वादी संख्या 2 के 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 के पड़दादा व वादी संख्या 2 के दादा काशीराम पुत्र रामपत उर्फ रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस रामप्रताप, सन्तोष, बिमला व कौशल्या हुए जिसमें रामप्रताप पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस फुली पत्नी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रामप्रताप, पूर्णाराम, दलीप सिंह पुत्रगण रामप्रताप जिसमे से पूर्णाराम पुत्र रामप्रताप का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस इन्द्रावती, माया, जयप्रकाश व रवि कुमार हुए तथा कौशल्या पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस सरोज हुई जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 के दादा की बहिन व वादी संख्या 2 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने अपने भाई, भतीजो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 1 के दादा की मृतक बहिन की वारिस व वादी संख्या 2 की मृतक बुआ की वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी संख्या 2 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन व प्रतिवादी संख्या 6 जो कि वादी संख्या 1 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है व अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 काबिज है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

Sahuf.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 के पड़दादा व वादी संख्या 2 के दादा काशीराम पुत्र रामपत उर्फ रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस रामप्रताप, सन्तोष, बिमला व कौशल्या हुए जिसमें रामप्रताप पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस फुली पत्नी रामप्रताप, पूर्णाराम, दलीप सिंह पुत्रगण रामप्रताप जिसमे से पूर्णाराम पुत्र रामप्रताप का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस इन्द्रावती, माया, जयप्रकाश व रवि कुमार हुए तथा कौशल्या पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस सरोज हुई जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 के दादा की बहिन व वादी संख्या 2 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने अपने भाई, भतीजो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 1 के दादा की मृतक बहिन की वारिस व वादी संख्या 2 की मृतक बुआ की वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 2 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन व प्रतिवादी संख्या 6 जो कि वादी संख्या 1 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है व अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों

Zahid
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 काबिज है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के 1/72 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व वादी संख्या 2 के 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक के 1/288 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी संख्या 1 के पड़दादा व वादी संख्या 2 के दादा काशीराम पुत्र रामपत उर्फ रामचन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस रामप्रताप, सन्तोष, बिमला व कौशल्या हुए जिसमें रामप्रताप पुत्र काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस फुली पत्नी रामप्रताप, पूर्णाराम, दलीप सिंह पुत्रगण रामप्रताप जिसमे से पूर्णाराम पुत्र रामप्रताप का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस इन्द्रावती, माया, जयप्रकाश व रवि कुमार हुए तथा कौशल्या पुत्री काशीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस सरोज हुई जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादी संख्या 1 के दादा की बहिन व वादी संख्या 2 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती

Rahuf
उपजज्ज अधिकारी
नोहर

है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने अपने भाई, भतीजो व उनके वारिसो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 1 के दादा की मृतक बहिन की वारिस व वादी संख्या 2 की मृतक बुआ की वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 2 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र व पौत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन व प्रतिवादी संख्या 6 जो कि वादी संख्या 1 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है व अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 2 काबिज है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 तीनों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया

Sahuj
उपमण्ड अधिकारी
नोहर

जता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 तीनों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं पूर्व में दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 का नाम जयप्रकाश पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर जय प्रकाश पुत्र पूर्ण राम के संशोधन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक04/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण स0: 359/2026

अनवान : -

1. जय प्रकाश पुत्र पूर्ण राम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप सिंह पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. सन्तोष पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला देवी पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सरोज पुत्री कौशल्या पुत्री काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. फुली पत्नी रामप्रताप पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. माया पुत्री पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. इन्द्रावती पत्नी पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
7. रवि कुमार पुत्र पूर्णाराम पुत्र काशीराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 359 सन 2026 निर्णय दिनांक 04/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 59/61 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 9.1080 है0 भूमि एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 105/105 के कुल खसरे 52 की कुल तादादी 8.2330 है0 भूमि एवं रोही मौजा 11 बाराणी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 448/420 के कुल खसरे 5 की कुल तादादी 1.0110 है0 भूमि उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 तीनों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 तीनों को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं पूर्व में दर्ज भूमि में वादी संख्या 1 का नाम जयप्रकाश पुत्र पूर्णाराम के स्थान पर जय प्रकाश पुत्र पूर्ण राम के संशोधन की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर